❖ कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) ❖

पुराना कोल डिपो, झोटवाडा रोड, पानी पेच, जयपुर–302016 e-mail dcfjaipurnorth@gmail.com Ph. 0141-2303165

क्रमांक :– एफ( ) FCA/उवसंजउ/2021–22/ 1179 दिनांक 08-02-2022

निमित्त,

सर्व श्री मोदी लेवीगेटेट कोओलिन प्रा. लि.
बी–41, वशिष्ट मार्ग, श्याम नगर,
जिला–जयपुर (राज0)

विषय :– Proposed Diversion of 33.12 ha. of forest land in favour of Shri Modi Levigated Kaolin Pvt. For China Clay Mines in Revenue Tatera, Buchara & Basri Ganeshpura, Tehsil-Shrimadhopur & Kotputli, District- Sikar & Jaipur Raj. Proposal No. FP/RJ/MIN/20707/2016.

सन्दर्भ :– आप द्वारा जमा करवायी गई प्रत्रावली दिनांक 23.12.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित प्रस्ताव के क्रम में लेख है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 7099 दिनांक 16.09.2020 के द्वारा जारी किये गये ई.डी.एस. के क्रम में आप द्वारा जमा कराये गये संशोधित प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियां पाई गई है। जिनका प्रत्युतर भिजवाना सुनिश्चित करें :–

1. चैक लिस्ट व फार्म ए पर लिखा गया प्रपोजल नंबर व नाम अलग–अलग हैं।
2. आप द्वारा जमा कराई गयी पत्रावली में साईट प्लान मैप अब भी स्पष्ट नही हैं।
3. पत्रावली के प्रत्येक पृष्ट पर आवेदक/यूजर ऐजेन्सी के प्रतिनिधि के द्वारा किये गये हस्ताक्षरों में भिन्नता हैं।
4. आप द्वारा जमा कराई गयी पत्रावली अनुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध करवाने का शपथ पत्र लगाया गया हैं। किन्तु फार्म ए के बिन्दु एल में पेज नं. 6 में जैसलमेर जिले के मोहनगढ में 33.12 है. भूमि खसरा नं. 1676 में दी गई हैं, का विवरण दिया गया हैं। स्थिति स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित हैं।
5. मौके पर प्रस्तावित स्थल का सीमा चिन्हों (पिलर्स) द्वारा सीमाकंन कर दिया गया हैं, तो उक्त सीमा पीलर्स पर जी0पी0एस0 कॉडिनेट व बियरिंग लिखकर उनके फोटोग्राफ प्रेषित करें। जिससे मौका निरिक्षण किया जा सकें।
6. प्रस्ताव में संलग्न विभिन्न दस्तावेजों/नक्शों पर हस्ताक्षर एवं हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम, पद व दिनांक अंकित नही हैं।
7. प्रस्ताव के संलग्न किये गये जियो रेफरेन्स मैप पर खसरा मैप सुपर इम्पोज नही हैं। साथ ही प्रस्तावित रोड के खसरों में भी एक खसरा छोडा हुआ प्रतित हो रहा हैं। अतः उसको सम्मिलित करते हुये सही स्थिति/टिप्पणी व संलग्न नक्शों का भी सही किया जाना प्रस्तावित हैं।
8. पूरे प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षों एवं पातन किये जाने वाले वृक्षों के सारांश का दिया जाना प्रस्तावित हैं। उक्त के क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, कोटपूतली/पावटा से सामांजस्य स्थापित कर संयुक्त मौका रिपोर्ट बनवाकर प्रेषित करावें। जिसमें स्पष्ट टिप्पणी करें की इस प्रस्ताव में कितने वृक्ष काटे जायेगें।

उक्त बिन्दुओं पर सूचना आप युजर ऐजेन्सी से ली जानी प्रस्तावित है अतः उक्त बिन्दुओं की पूर्ति कर प्रस्ताव पुनः प्रेषित करने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

संलग्न :– 5 सेट मुल पत्रावली।

(सुदीप कौर)
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

क्रमांक :– एफ( ) FCA/उवसंजउ/2020–21/ दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सहायक वन संरक्षक, कोटपूतली।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, कोटपूतली/पावटा।

उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

Fca Inf 347